निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 02/2023
दायरा दिनांकः—10.01.2023
निर्णय दिनांकः— 3.9.24

उनवान

1 रामचरण आयु 80 वर्ष आत्मज गोपाल जाति धाकड निवासी अल्लापुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. क्षैत्रिय वन अधिकारी वन विभाग छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारा राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 3.9.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान बलरिया — प्रार्थी
2. श्री कमल सिंह आसावत — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी व उसके पिता स्व० गोपाल के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 89 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 29 बीघा 02 बिस्वा 4 खसरा नम्बर 124 रकबा 6 बीथा 11 बिस्वा वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील छबडा मे अवस्थित है जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक राज० सरकार दर्ज है। यह कि प्रार्थनापत्र की मद नम्बर—2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 89, 90, 124 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील छबडा पर प्रार्थी एवं उसके परिजन पिछले 75 वर्षों से निरन्तर रूप से आज तक बिना किसी व्यवधान के काबिज चले आ रहे है उक्त भूमि पर पिछले 75 साल से आज तक किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं रहा है। राज० सरकार द्वारा आदेश प्रपत्र (ओ) विज्ञप्ति संख्या एफ (452) रा. क्र. 68 दिनांक 19—7—69 राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार की आज्ञा से शासन सचिव द्वारा वन विभाग की अरक्षित वन भूमि में माल अल्लापुरा तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 70, 71, 72, 73 की कुल 136.3 एकड भूमि के सन्दर्भ में जारी की गयी थी। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियात को वन विभाग की भूमि नहीं माना गया था। इस कारण उक्त भूमियात वन विभाग के अन्तर्गत नहीं आती है तथा भूमि खसरा नम्बर 89, 90, 124 के बाबत राज्य सरकार एवं वन विभाग द्वारा कोर्ट राजकीय अधि सूचना जारी नहीं की गयी। इसलिये भूमि खसरा नम्बर 89, 90. 124 के राजस्व रेकार्ड में वन विभाग से सिवायचक दर्ज की गयीं थी। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 89, 90, 124 वाके माल ग्राम अल्लापुरा तहसील छबडा जो पूर्व में अप्रार्थीगण वन विभाग के नाम राजस्व रेकार्ड मदर्ज थी तथा वर्तमान में सिवाय चक दर्ज हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा वाद माननीय न्यायालय में पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10—2—14 से वाद को खारिज फरमा दिया गया था एवं भूमि को सिवाय चक दर्ज किये जाने का आदेश दिया था जिसकी अपीलार्थी द्वारा माननीय

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आर.ए.ए. कोटा में की गयी थी जिसमें माननीय आर.ए.ए. कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26–10–20 से माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाकर वाद को पुनः पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया था। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय आर.ए.ए. कोटा के निर्णय दिनांक 26–10–20 की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गयी जहाँ दिनांक 8–12–22 को अपील खारिज फरमा दिया गया। माननीय न्यायालय आर.ए.ए. कोटा के निर्णय दिनांक 26–10–20 की पालना में पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय में आ गयी है। यह कि माननीय आर.ए.ए. कोटा के निर्णय दिनांक 26–10–20 के आधार पर माननीय न्यायालय में पक्षकारो के मध्य सुनवाई होकर निर्णय पारित होना शेष है लेकिन अप्रार्थी नम्बर–1 माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–2–14 की पालना में विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज हो चुकी है जिसको पुनः वन विभाग के नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है अतः अप्रार्थी नम्बर–1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। वाद में वर्णित भूमियात वर्तमान में सिवायचक दर्ज है जो राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थित अनुसार वन विभाग की लाल लाईन के अन्दर नहीं आती है उक्त भूमि वन विभाग की लाल लाईन के बाहर रेवेन्यू की भूमि में आती है उक्त भूमि जब वन विभाग की लाल लाईन से बाहर स्थित है तो अप्रार्थी नम्बर–1 वन विभाग को उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कानून अधिकार प्राप्त नहीं हैं वाद कारण दिनांक 4–1–23 को पैदा हुआ जब अप्रार्थी नम्बर–1 द्वारा विवादग्रस्त भूमियात पर जाकर जबरन बलपूर्वक अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की नियत से चुने की लाईन डालने का प्रयास किया तथा प्रार्थी द्वारा मना करने पर न्यायालय का आदेश होना बताया गया। अप्रार्थी नम्बर–1 द्वारा वाद में वर्णित भूमियात के राजस्व रेकार्ड सिवाय चक के स्थान पर वन विभाग दर्ज करवाकर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धन से संभव नहीं हो सकेगी। तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादो में उलझना पडेगा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। काउन्टर क्लेम का जवाब प्रार्थी देना नही चाहते है जवाबुल जवाब बन्द किया जाता है प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम अल्लापुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 1 नकल नामान्तरण संख्या 186 ग्राम अल्लापुरा नकल नक्शा ट्रेस नकल विज्ञाप्ति जयपुर दिनांक 21.11.1957 विज्ञाप्ति 09.07.1969 नकल वाद पत्र प्रकरण संख्या 36/13 रामचरण बनाम क्षैत्रिय वन अधिकारी निर्णय दिनांक 10.02.2014 नकल निर्णय माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी को उनवान क्षैत्रिय वन अधिकारी छबडा बनाम रामचरण निर्णय दिनांक 26.10.2020 अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर उनवान रामचरण बनाम राज. सरकार निर्णय दिनांक 08.12.2022 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके अल्लापुरा तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं उसके वारिसान पिछले 75 साल से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। पिछले 75 साल से अन्य किसी का कब्जा काश्त नही रहा है। राज्य सरकार द्वारा आदेश

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ओपत्र (ओ) विज्ञाप्ति संख्या एफ(452)रा.क्र.68 दिनांक 19.07.1969 राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार की आज्ञा से शासन सचिव द्वारा वन विभाग की रक्षित वन भूमि में माल अल्लापुरा की भूमि खसरा नम्बर 70,71,72,73 की कुल 136.3 एकड भूमि के सन्दर्भ में जारी की गई। विवादित आराजी खसरा नम्बर 89,90,124 को वन विभाग की भूमि नही माना गया था। इसलिए वन विभाग के अन्तर्गत नही आती है उक्त भूमि के बावत् राज्य सरकार एवं वन विभाग द्वारा कोई राजकीय अधिसूचना जारी नही की गयी इसलिए उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम गलत दर्ज की गई थी। उक्त विवादित भूमि सिवायचक दर्ज हो चुकी है जिसकी अपील अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय आर.ए.ए कोटा में अपील की गई माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा का निर्णय अपात्र कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी आर.ए.ए. कोटा का निर्णय बहाल रखा गया। माननीय न्यायालय आर.ए.ए कोटा के निर्णय के आधार पारित करना शेष है इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.02.2014 खारिज किया जा चुका है अप्रार्थी भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज करवा कर प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार वन विभाग की लाल लाईन के बाहर रेवेन्यू की भूमि में आती है अप्रार्थी प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है यदि प्रार्थी को भूमि से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि भूमि कमसल बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 में जंगलात के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.07.1969 तथा गजट नोटिफिकेशन 17 फरवरी 1994 में दन खसरा नम्बर का उल्लेख नही है जबकि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 89,90,124, मिसल बन्दोवस्त सम्वत् 2012–31 तथा इसके पश्चात् सम्वत् 2069–72 में वन विभाग के नाम दर्ज है उक्त भूमि मिसल बन्दोवस्त सम्वत् 2012–31 में राज. काश्तकारी अधिनियम 1953 के प्रभाव में आने की तारीख से जंगलात वन विभाग के नाम दर्ज रही है तथा गजट नोटिफिकेशन के बाद जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में भी वन विभाग के नाम दर्ज है वन विभाग की भूमि पर राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निजी खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना प्रतिबन्धित है वन विभाग की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। तथा अप्रार्थी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम अल्लापुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 1 सिवायचक नाकाबिल काश्त दर्ज रिकार्ड है नकल नामान्तरण संख्या 186 ग्राम अल्लापुरा मुताबिक डिक्री दिनांक 10.02.2014 से भूमि सिवायचक दर्ज की गई। नकल विज्ञाप्ति राज. सरकार जयपुर दिनांक 21.11.1957 नकल निर्णय दिनांक 10.02.2014 मुकदमा नम्बर 36/13 दावा उनवान रामचरण बनाम क्षैत्रिय वन अधिकारी छबडा में खसरा नम्बर 89 रकबा 1.15 बीघ खसरा नम्बर 90 रकबा 29.02 बीघा खसरा 124 रकबा 6.11 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा राज्यपाल महोदय जयपुर के गजट नोटिफिकेशन व राज्य सरकार के आदेश प्रपत्र ओ.विज्ञाप्ति संख्या एफ.7(542)रा.बु.68 दिनांक 19.07.1969 के आधार जंगलात (वन विभाग) में नही होने के कारण सिवायचक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

र्ज करने के आदेश दिये गये। जो वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की गई। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.10.2020 से उपखण्ड अधिकारी छबडा का निर्णय दिनांक 10.02.2014 अपास्त कर समस्त रेकार्ड का गहनता से अध्ययन कर तथा पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट रामचरण की अपील सारहीन होने से खारिज की गई एवं अपीलीय न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2020 यथावत रखा गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद तनकी में विचाराधीन है। जिसका निर्णय पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड/साक्ष्यों/गवाहों के आधार पर किया जायेगा। आराजी खसरा नम्बर 89,90,124 मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 में जंगलात के नाम रिकार्ड में दर्ज है राज. सरकार के आदेश दिनांक 19.07.1969 तथा गजट नोटिफिकेशन 17 फरवरी 1994 में इन खसरा नम्बरान का उल्लेख नही है विवादित भूमि का सम्वत् 2012 से 2031 तथा इसके पश्चात् सम्वत् 2069–72 में वन विभाग के नाम दर्ज है। अर्थात विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम नहीं रही है। अतः अप्रार्थी को इस स्तर पर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा